मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

IWMP
परिपत्र क्र.7
(परिपत्र क्र.2 का पूरक)

क्र. 13094/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 27/09/10

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा गठित संविदा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के संविदा विषय विशेषज्ञ को शामिल करने के संबंध में।

संदर्भः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.2 (जावक क्र.3846/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010, दिनांक 23/03/10)

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के लिए संदर्भित परिपत्र में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस अनुक्रम में विभाग के आदेश क्र.9144/22/वि–9/आरजीएम/आई.डब्ल्यू.एम.पी./ 2010, दिनांक 9/07/2010 द्वारा कार्यक्रम की नवीन जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु संविदा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के लिए टीम लीडर व टीम सदस्य का दायित्व पूर्व से प्रचलित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं में संविदा पर परियोजना अधिकारी/परियोजना समन्वयक का दायित्व निर्वाह कर रहे विषय विशेषज्ञों को संविदा आधार पर सौंपा गया है।

2/ जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के तकनीकी स्वरूप के दृष्टिगत संविदा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ की भी आवश्यकता है। अतः वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ को संविदा आधार पर टीम सदस्य के रूप में निम्नानुसार शामिल किया जा सकता है :–

2.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञों को टीम सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु मिशन लीडर अर्थात जिला कलेक्टर उपयुक्त अभ्यर्थी की संविदा सेवायें लेने एवं अनुगामी कार्यवाही हेतु अधिकृत होंगे।

2.2 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की ऐसी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनायें जिनकी वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, सामाजिक विज्ञान तथा भू–गर्भ विज्ञान के विषय विशेषज्ञों को संविदा दायित्व सौंपा गया है और सिविल अभियांत्रिकी का विषय विशेषज्ञ नहीं है, उनमें **प्रत्येक वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में** सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ को संविदा आधार पर टीम सदस्य के रूप में

अनिवार्यतः शामिल किया जाये। सिविल अभियांत्रिकी के इस टीम सदस्य को अन्य सदस्यों के समान मानदेय दिया जायेगा जो परियेाजना के प्रशासनिक मद में विकलनीय होगा।

2.3 प्रथमतः विभाग की विभिन्न योजनाओं उदाहरणतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सिविल अभियंता/उपयंत्री की संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर निष्पादित चयन प्रक्रिया से जनित चयन मेरिट सूची में उपलब्ध अभ्यर्थी को बिन्दु 2.2 में उल्लेखित अनुसार वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ का संविदा दायित्व सौंपा जा सकेगा। यदि किसी जिले में ऐसी मेरिट सूची उपलब्ध नहीं है तो समीपस्थ जिले में उपलब्ध मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को यह दायित्व सौंपा जा सकता है।

2.4 उपरोक्त प्रक्रिया से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा तथा पात्र अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों की विषय संबंधी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन कलेक्टर के निदेशन में होगा तथा साक्षात्कार भी कलेक्टर द्वारा गठित पैनल द्वारा लिया जायेगा, जिसमें राजपत्रित प्रथम श्रेणी के अधिकारी शामिल होंगे। इस प्रक्रिया से जनित मेरिट सूची में उपलब्ध अभ्यर्थी को बिन्दु 2.2 में उल्लेखित अनुसार वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ का संविदा दायित्व सौंपा जा सकेगा।

2.5 वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में उपरोक्तानुसार सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ हेतु पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता – सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा डिप्लोमा और अनुभव 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होगा। शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त तथा 65 वर्ष से कम आयु के ऐसे सिविल अभियंता भी इस हेतु पात्र होंगे, जो पूर्णतः स्वस्थ हों।

2.6 उपरोक्तानुसार उपलब्ध उपयुक्त अभ्यर्थी को वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ को संविदा दायित्व सौंपे जाने का आदेश जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। सौंपा गया दायित्व ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष उपस्थिति देंगे।

3/ वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ के संविदा दायित्व की संविदा सेवा अवधि 2 वर्ष होगी, तदोपरांत अनुकूल आचरण, कार्य कुशलता एवं मूल्यांकन के आधार पर सेवा अवधि में पुनः आगामी 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी। कुल संविदा की अवधि संबंधित परियोजना की समयावधि अथवा आवश्यकता होने तक सीमित रहेगी। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा आचरण व निष्पादित कार्यकलाप के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ की संविदा अवधि समाप्त किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे। सिविल अभियांत्रिकी के यह संविदा विषय

विशेषज्ञ नियमितीकरण/स्थाईकरण हेतु पात्र नहीं हैं और भविष्य में भी वे नियमितीकरण/ स्थाईकरण कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

4/ सिविल अभियांत्रिकी के उपरोक्तानुसार संविदा विषय विशेषज्ञ को संबंधित **वाटरशेड डेवलपमेंट टीम** में राज्य शासन एवं मिशन मुख्यालय द्वारा समय समय पर सौपे गये दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

5/ वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में दायित्व ग्रहण करने के पश्चात सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ को भी बॉड भरना होगा एवं जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जिसका प्रारूप पूर्व में जिला पंचायतों को प्रेषित किया गया है।

6/ एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में उपरोक्तानुसार सिविल अभियांत्रिकी के विषय विशेषज्ञ को सौंपे गये संविदा दायित्व के लिए पूर्व में जारी तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली संविदा शर्तें यथावत् लागू होंगी। इन शर्तों का पालन अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सौंपा गया दायित्व निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ता/–

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 13095/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 27/09/10
प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग